भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2398
उत्तर देने की तारीख 18 दिसंबर, 2023
सोमवार, 27 अग्रहायण, 1945 (शक)

कौशल विकास केन्द्र को प्रदान की गई वित्तीय सहायता

2398. श्री जुगल किशोर शर्माः श्री सुनील कुमार पिन्टूः श्रीमती लॉकेट चटर्जी:
श्रीमती नवनित रवि राणा: श्री रमेश चन्द्र कौशिकः श्री अजय कुमार मंडलः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू और कश्मीर के कौशल विकास केन्द्रों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्योरा क्या है; और

(ख) सीतामढ़ी, हुगली, अमरावती, सोनीपत और भागलपुर सहित उक्त केन्द्रों को प्रदान किए गए अनुदानों की निगरानी और सतर्कता के लिए जिला-वार क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उदयमशीलता राज्य मंत्री
(श्री राजीव चंद्रशेखर)

क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के द्वारा कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य और उद्योग के लिए कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।

इन स्कीमों के तहत निधि राज्य सरकारों को जारी की जाती है, न कि जिलों को। पिछले तीन वर्षों (2020-21, 2021-22 और 2022-23) के दौरान एमएसडीई की पीएमकेवीवाई, जेएसएस और एनएपीएस स्कीमों के तहत जारी की गई निधि निम्न प्रकार है:

(राशि करोड़ रुपए में)

स्कीम का नाम	जारी की गई निधि				
	बिहार	पश्चिम बंगाल	महाराष्ट्र	हरियाणा	जम्मू और कश्मीर

पीएमकेवीवाई	141.72	59.41	189.55	66.02	80.04
जेएसएस	26.47	11.66	31.25	7.10	2.15
एनएपीएस	2.58	25.23	132.65	33.8	0.44

आईटीआई से संबंधित दैनिक प्रशासन के साथ-साथ वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास है।

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और जिलों में स्कीमों के अनुवीक्षण और सतर्कता के लिए एक समान नीति का पालन किया जाता है। पीएमकेवीवाई के तहत, सूचीबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कार्यक्रमों और अन्य उपायों, अर्थात् स्व-ऑडिट रिपोर्टिंग, कॉल सत्यापन, औचक दौरे तथा स्किल इंडिया डिजिटल (एसआईडी), कौशल प्रबंधन और प्रशिक्षण केंद्रों (स्मार्ट) की मान्यता, आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) सहित विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से प्रभावी ढंग से निगरानी की जा रही है।

इस स्कीम के तहत, पीएमकेवीवाई निगरानी समिति हितधारकों के अनुवीक्षण मुद्दों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों की समीक्षा करती है और रूपरेखा तैयार करती है। साथ ही, समिति ने चूककर्ता/अनुपालन न करने वाले प्रशिक्षण केंद्रों/हितधारकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दंड ग्रिड तैयार किया है।

जेएसएस के तहत, जन शिक्षण संस्थान निदेशालय समीक्षा बैठकों और ऑनलाइन वेब पोर्टल (jss.gov.in) के माध्यम से जेएसएस स्कीम की निगरानी करता है। ऐसे मामलों में जिन मूल निकाय/जेएसएस को दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अथवा गंभीर वित्तीय अनियमितताओं में शामिल/स्कीम के कार्यान्वयन में लगातार खराब प्रदर्शन करते पाया जाता है उनका सहायता अनुदान बंद कर दिया जाता है, और मान्यता रद्द करने या समाप्ति की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाती है।

एनएपीएस के तहत, शिक्षुओं के लिए वृत्तिका सहयोग, प्रतिष्ठान द्वारा प्रदत्त वृत्तिका का प्रमाण देने पर उम्मीदवार और प्रतिष्ठानों के बीच किए गए प्रशिक्षुता अनुबंध के आधार पर प्रतिपूर्ति के रूप में जारी किया गया था। वर्ष 2023-24 (जुलाई 2023) से, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे शिक्षुओं के बैंक खातों में वृत्तिका सहायता जारी की जा रही है।

जैसा कि उल्लखित है, आईटीआई से संबंधित दैनिक प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास है। हालाँकि, औद्योगिक मूल्य संवर्धन (स्ट्राइव) परियोजना के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण के तहत, गुणवत्ता के उन्नयन और प्रशिक्षण की उद्योग प्रासंगिकता को बढ़ाने के लिए आईटीआई की प्रयोगशालाओं, उपकरणों और औजारों के उन्नयन के लिए भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता उनके निष्पादन संकेतकों की उपलब्धि के आधार पर प्रदान की जाती है और वास्तविक लक्ष्यों की निगरानी राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल एनसीवीटी एमआईएस नियमित बैठकों और अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से की जाती है।

*****